# न्यायालय अति0 जिला कलक्टर करौली

*पीठासीन अधिकारी सुरेश कुमार आर.ए.एस*

तारीख रजू:– 19.12.2018

मु0नं0 26/2018

इन्दर सिह पुत्र चरणसिह जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील हिण्डौन जिला करौली :– अपीलान्ट

## बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायव तहसीलदार सूरौठ जिला करौली –रेस्पोडेन्ट

**अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 15.2.2018 न्यायालय नायव तहसीलदार सूरौठ मुकदमा नम्बर 730/2018 व मुकदमा उनवानी सरकार बनाम इन्दरसहि धारा 91 एल.आर.एक्ट**

निर्णय दिनांक 16.1.2019

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की ओर से यह अपील वकील अपीलान्ट ने पेश कर बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 15.02.2018 को अपीलान्ट का पुनः अतिक्रमण मानते हुए सास्ती बेदखली एवं सिविल कारावास के दन्ड से दंण्डित किया गया है। जिसमे अपीलान्ट ने खसरा नम्बर 154 रकवा 0.04 है0 पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया गया है पटवारी हल्का ने गाव की पार्टी बाजी मे पड कर गलत रिपोर्ट पेश की है। ओर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार गोर नही किया जाकर निर्णय पारित करने भारी भूल की है। अपीलांट को सुनवाई का मौका भी नही दिया गया है। ओर एक पक्षीय कार्यवाही की गई है। पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्व अपने गलत व्यान दर्ज कराये गये है। इस निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 21.03.2018 को हुई नियमानुसार नकल प्राप्त की गई अन्त में अपीलान्ट ने प्रथक से दफा 5 मियाद अधिनीयम प्रार्थना पत्र पेश कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब करते हुये अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब कर शामिल पत्रावली की गई ।

बहस बकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलान्ट ने बहस करते हुये अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 154 रकवा 0.04 है0 सिवायचक में गैहू ग्राम चक सेरपुर तहसील हिण्डौन पर कोई अतिक्रमण व कब्जा अपीलान्ट का नही है। साथ ही इस भूमि पर कभी भी कब्जा व अतिक्रमण भविष्य मे अपीलान्ट द्वारा नही करना कथन किया है। आज भी मौके पर अपीलान्ट का कब्जा व अतिक्रमण नही होना एवं इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय मे अण्डर टेकिंग प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अन्त मे अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

पैरोकार सरकार का बहस मे कथन है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने वकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार की बहस का मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन करने पर पाया गया है। कि ग्राम चकसेरपुर तहसील हिण्डौन में अपीलान्ट द्वारा सम्बत 2074 रबि मे गैहू फसल कर

अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजीयात से अतिचार हटा लिया है। और भविष्य मे कभी भी अतिचार नही करने का अभिकथन किया है तो हमारी सुविचारित राय मे सिविल जैसे कठोर कारावास की सजा को बनाये रखने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। हम वकील अपीलान्ट के कथनो से सहमत है।

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। नायव तहसीलदार सूरौठ तहसील हिण्डौन जिला करौली का निर्णय दिनांक 15.02.2018 के तहत अपीलान्ट इन्दरसिंह पुत्र चरणसिंह जाति जाट निवासी सेरपुर को दी गई 3 माह की सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाता है शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ अधीनस्थ न्यायालय को वापिस भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.1.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 जिला कलक्टर
करौली